न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 177/2019

दायर दिनांक-01.10.2019

1. बलाराम उर्फ बालाराम पुत्र श्री जीताराम जाति माली निवासी सैनीनगर, नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

1. गुगन पुत्र जीताराम
2. निवास उर्फ रामनिवास पुत्र जीताराम
3. रामवतार उर्फ रामोतार पुत्र जीताराम
4. सागर पुत्र जीताराम जाति माली निवासीगण सैनीनगर, नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. नारानी पत्नी जीताराम जाति माली निवासीगण सैनीनगर नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. सुशीला देवी पत्नी श्री रामावतार जाति मालीत निवारी माणकराम की ढाणी सैनीनगर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. उप–पंजीयक उप–पंजीयन कार्यालय नवलगढ।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री राजीव सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– श्री विप्लव पंडित

दावा विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक –15–10–2020

वाद वादी दिनांक **17.10.2019** को प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बावत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./1277 दिनांक 28.08.2020 प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिकी किये जाने में वकील पक्षकारान् द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम **सैनीनगर** की भूमि ख.नं. **354 रकबा 0.5700 हैक्टर** एवं **खसरा नम्बर 1936/1583 रकबा 0.5600 हैक्टर** का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. ग्राम **सैनीनगर** की भूमि ख.नं. 354/1 रकबा 0.0999 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय लगान 0.31 का **नारानी पत्नी जीताराम, गुगन, निवास, रामावतार, सागर पुत्रगण जीताराम हि.ब. जाति माली** साकिन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम **सैनीनगर** की भूमि खसरा नम्बर 354/2 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय लगान 0.68 का बलाराम पिता जीताराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम **सैनीनगर** की भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.2501 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय लगान 0.77 का **सुशीला देवी पत्नी रामावतार जाति माली साकिन माणकराम की ढाणी** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम **नवलडी** की भूमि खसरा नम्बर 1936/1583 रकबा 0.0933 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.86 का **बलाराम पिता जीताराम जाति माली सा0 देह** खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नवलगढ मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम **नवलडी** की भूमि खसरा नम्बर 1936/1583/1 रकबा 0.4667 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 4.33 का **नाराणी पत्नी जीताराम, गुगन, रामनिवास, सागर पुत्रगण जीताराम हि.ब. जाति माली सा0 देह खातेदार राहिन गुगन, रामावतार पिता जीताराम, नारानी पत्नी जीताराम हिस्सा 3/5** पंजाब नेशनल बैंक शाखा नवलगढ मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

नोट :– आदेशिका दिनांक 20/11/20 के अनुसरण में आनुसार संशोधित किया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम नईजलास नवलगढ़
श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

वाद पत्र विविधत विभाजन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

177/2019
मुकदमा नम्बर ~~26/2020~~ (बलाराम वनाम गुगन वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **श्री इन्द्राज सिंह** (आर.ए.एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **15.10.2020** निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम **सैनीनगर** की भूमि ख.नं. **254** **रकबा 0.5700 हैक्टर** एवं ग्राम **नवलडी की भूमि खसरा नम्बर 1936/1583 रकबा 0.5600 हैक्टर** का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम **सैनीनगर** की भूमि ख.नं. 354/1 रकबा 0.0999 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय लगान 0.31 का **नारानी पत्नी जीताराम, गुगन, निवास, रामावतार, सागर पुत्रगण जीताराम** हि.ब. **जाति माली** साकिन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम **सैनीनगर** की भूमि खसरा नम्बर 354/2 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय लगान 0.68 का बलाराम पिता जीताराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम **सैनीनगर** की भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.2501 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय लगान 0.77 का **सुशीला देवी पत्नी रामावतार जाति माली साकिन माणकराम की ढाणी** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम **नवलडी** की भूमि खसरा नम्बर 1936/1583 रकबा 0.0933 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.86 का **बलाराम पिता जीताराम जाति माली सा0** देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नवलगढ मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम **नवलडी** की भूमि खसरा नम्बर 1936/1583/1, रकबा 0.4667 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 4.33 का **नाराणी पत्नी जीताराम, गुगन, रामनिवास, सागर पुत्रगण जीताराम हि.ब. जाति माली सा0** देह **खातेदार राहिन गुगन, रामावतार पिता जीताराम, नारानी पत्नी जीताराम हिस्सा 3/5** पंजाब नेशनल बैंक शाखा नवलगढ मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद वशरह......-..........फीसदी जन..........-.............. मुवलिग..........-...........बाबत.....-..........का अदा करे।
सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....-............

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. **15** माह **10** सन् **2020** को जारी की गई।

(इन्द्राज सिंह) 15/10/20
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

नोट:- आदेशिका दिनांक 26/11/20 के अनुसरण में खसरा नं 354 व रामावतार संशोधन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner